

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

| क्र.सं | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती (राउमावि / राबाउमावि) | व्याख्याता विषय | जन्मतिथि | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि |
|--------|--|--------------------|------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | श्री इन्द्राज वर्मा कोछोर-सीकर | इतिहास | 04-04-1957 | 30-04-2017 |
| 02 | श्री शैलानसिंह सोलकी नारादरा-सिरोही | इतिहास | 12-08-1957 | 31-08-2017 |
| 03 | श्री देव प्रकाश कोजरा-सिरोही | इतिहास | 13-11-1957 | 30-11-2017 |
| 04 | श्री जालमसिंह देवडा वीरवाडा-सिरोही | इतिहास | 16-08-1957 | 31-08-2017 |
| 05 | श्री सवाईसिंह भाटी बडोडा गोंव-जैसलमेर | इतिहास | 15-05-1957 | 31-05-2017 |
| 06 | श्री जगदीश पुजारी पीराना-चित्तौडगढ़ | इतिहास | 10-07-1957 | 31-07-2017 |
| 07 | श्री अर्जुन लाल जौशी बडोदिया-चित्तौडगढ़ | इतिहास | 19-08-1957 | 31-08-2017 |
| 08 | श्री दोदराम काजला गजसुखदेसर-बीकानेर | इतिहास | 16-07-1957 | 31-07-2017 |
| 09 | श्रीमती विमला ब्यास सेमुमा बालिका भीलवाडा | इतिहास | 10-03-1957 | 31-03-2017 |
| 10 | श्री आत्माराम चोटिया गोयनका उमावि चूरु | वणिज्य | 06-11-1956 | 30-11-2016 |
| 11 | श्री रिखबचन्द साखला केकडी-अजमेर | वणिज्य | 15-09-1957 | 30-09-2017 |
| 12 | श्री नारायण दास सैनी तिजारा-अलवर | वणिज्य | 05-03-1957 | 31-03-2017 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/से.नि./31853/2016-17

दिनांक:- 06/01/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संबंधित संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- (7) संबंधित प्राध्यापक
- (8) रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (इतिहास/वाणिज्य) के सेवानिवृत्ति आदेश में निम्नांकित नाम के आगे अंकित आंशिक संशोधन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-


| क्रसं | नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान | पूर्व में जारी कार्यालय आदेशांक/दिनांक | संशोधन |
|-------|--|--|---|
| 1 | मंजू आर्य व्या० इतिहास राबाउमावि चेचट -कोटा | शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016/ दिनांक- 16.03.16 | कार्मिक का नाम मंजू आर्य के स्थान पर मंजू आर्या एवं विधालय का नाम बा० चेचट- कोटा के स्थान पर उमावि महावीर नगर प्रथम कोटा पढा जावे । |
| 2 | श्री बिरधीलाल व्या० इतिहास, धिरोडोदामीठा-नागोर | शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016-17/ दिनांक- 15.11.16 | कार्मिक का नाम श्री विरधी लाल के स्थान पर बिरदीलाल पढा जावे । |


संयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/ 2016
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संबंधित संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- (3) संबंधित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- (4) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को इन्टरनेट पर प्रकाशनार्थ ।
- (6) संबंधित संस्था प्रधान
- (7) संबंधित प्राध्यापक
- (8) निजी/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:- 06/01/2017


संयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है।

| क्र.सं. | नाम व्या.पदस्थापन स्थान | विषय | जन्मतिथि | सेवानिवृत्त तिथि |
|---------|---|-------|----------|------------------|
| 1. | राम किशोर-मीणा, राआउमावि गोठडा (लक्ष्मणगढ) अलवर | भूगोल | 13.12.56 | 31.12.16 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 9 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही/लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वयंकाश)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक 06/11/2017

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्त/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. उप निदेशक (माध्य)
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)
5. संस्था प्रधान
6. कम्प्यूटर अनुभाग
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 कं नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

| क्र. स. | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि) | विषय | जन्मतिथि | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---------|---|-------------|------------|-------------------|
| 1. | श्रीमति सरोज आर्य, रा.बागला उमावि दुरु | जीव विज्ञान | 20.01.1957 | 31.01.2017 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 06/01/2017

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/16-17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
- 2 संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 3 संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,
- 5 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 6 संबंधित प्राध्यापक
- 7 सिस्टम एनालिसिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा कां विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर